बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या–NHM/BHDS/259/2022–पी०पी०एम०-177-/कृ०, पटना, दिनांक - 16.12.,2025
प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

विषय : एकीकृत बागवानी विकास मिशन अन्तर्गत निर्मित प्लग टाईप नर्सरी की देयता राशि का वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल 85.905 लाख (पचासी लाख नब्बे हजार पाँच सौ) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश : **स्वीकृत।**

एकीकृत बागवानी विकास मिशन अन्तर्गत निर्मित प्लग टाईप नर्सरी की देयता राशि का वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल 85.905 लाख (पचासी लाख नब्बे हजार पाँच सौ) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या NHM/BHDS/78/2023–पी.पी.एम.–75 दिनांक–06.09.2023 द्वारा स्वीकृत एकीकृत बागवानी विकास मिशन वित्तीय वर्ष 2023–24 अन्तर्गत 3 प्लग टाईप नर्सरी का निर्माण औरंगाबाद, पूर्वी चम्पारण एवं जमुई जिला में अवस्थित प्रखंड उद्यान नर्सरी में कराया गया है। विषयगत योजना की कार्य समाप्ति वित्तीय वर्ष 2023–24 में की जानी थी। द्वितीय एवं तृतीय किस्त की राशि का भुगतान कतिपय कारणों से नहीं होने के कारण योजना ससमय पूर्ण नहीं हो सका अतएव उक्त योजना से संबंधित राशि की भुगतान को अनुसूची–1 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025–26 में करने हेतु शेष बकाया राशि कुल 85.905 लाख (पचासी लाख नब्बे हजार पाँच सौ) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी जा रही है। अतएव यह योजना चालू योजना है।

3. जमुई जिला में अवस्थित प्रखंड उद्यान नर्सरी, लक्ष्मीपुर तथा औरंगाबाद जिला में प्रखंड उद्यान नर्सरी, मदनपुर में निर्मित प्लग टाईप नर्सरी की कार्य पूर्णता उपरान्त अनुसूची–1 के अनुसार कुल 85.905 लाख (पचासी लाख नब्बे हजार पाँच सौ) रूपये की देयता राशि का भुगतान किया जाना है।

4. दिनांक 08.09.2025 को State Level Sanctioning Committee (SLSC) में प्लग टाईप नर्सरी की उत्तरदेयता के भुगतान हेतु 85.905 लाख (पचासी लाख नब्बे हजार पाँच सौ) रूपये का अनुशंसा प्राप्त है।

5. योजना अंतर्गत उत्तरदेयता की राशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जाती है कि एकीकृत बागवानी विकास मिशन अन्तर्गत निर्मित प्लग टाईप नर्सरी के तहत इसके बाद कोई भी देयता की राशि शेष नहीं है तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः

संतुष्ट होने के उपरांत ही राशि का भुगतान करेंगे। किसी तरह के गलत भुगतान के लिए निकासी एवं भुगतान करने वाले पदाधिकारी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

6. योजना में स्वीकृत राशि की निकासी अनुसूची–2 के अनुसार निदेशक उद्यान बिहार, पटना को आवंटित की जायेगी। निदेशक उद्यान बिहार, पटना द्वारा संबंधित निर्माणकर्ता एजेंसी को SNA SPARSH के माध्यम से राशि का भुगतान किया जायेगा।

7. योजना अन्तर्गत स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यान्वयन एजेंसी के द्वारा प्रशासी विभाग एवं महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना को स्वीकृत्यादेश निर्गत की तिथि से 18 माह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। महालेखाकार को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

8. वित्त विभाग के पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 एवं पत्रांक–410 दिनांक–12.06.2025 का अनुपालन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

9. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–NHM/BHDS/78/2023–पी.पी.एम.–75 दिनांक–06.09.2023 की अन्य सभी शर्ते एवं कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।

10. योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, उद्यान, बिहार होंगे।

11. वितीय वर्ष 2025–26 में बजट उपबंध से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है:–

(राशि लाख रू० में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्यशीर्ष–00– लघुशीर्ष–119–बागवानी तथा वनस्पति फसलें–मांगसं०–01, उपशीर्ष–0224–राष्ट्रीय राष्ट्रीय बागवानी मिशन (कृषोन्नति योजना), विपत्रकोड–01– 2401001190224, पी०एफ०एम०एस० कोड–9145, विषयशीर्ष –31–सहायता अनुदान–0224–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	7075.52	66.1812
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्यशीर्ष–00– लघुशीर्ष –789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–मांगसं०–01,उपशीर्ष–0235– राष्ट्रीय राष्ट्रीय बागवानी मिशन (कृषोन्नति योजना), विपत्रकोड–01– 2401007890235, पी०एफ०एम०एस० कोड–9145, विषयशीर्ष –31–सहायता अनुदान–0235–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	1470.72	18.2549
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्यशीर्ष –00– लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना–मांग सं०–01, उपशीर्ष–0231–राष्ट्रीय राष्ट्रीय बागवानी मिशन (कृषोन्नति योजना), विपत्रकोड–01– 2401007960257, पी०एफ०एम०एस० कोड–9145, विषयशीर्ष –31–सहायता अनुदान–0257–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	107.59	1.4689
कुल	**8653.83**	**85.905**
प्रथम अनुपूरक से पूर्व राज्यांश मद से स्वीकृत राशि	**13.17**	**-**
कुल योग	**8667.00**	**85.905**

12. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888 दिनांक–03.12.2024 तथा पत्रांक–201 दिनांक–13.03.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में चालू योजना के रूप में योजना के कार्यान्वयन तथा राशि की निकासी एवं व्यय संबंधित प्रस्ताव सहित स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर माननीय मंत्री, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या NHM/BHDS/259/2022 के पृ0सं0–135 / टि0 पर दिनांक–12.12.2025 को प्राप्त है।

13. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

14. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– NHM/BHDS/259/2022 के पृष्ठ संख्या–133 / टि० पर दिनांक–03.12.2025 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या–892 दिनांक–03.12.2025 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

कल्पना कुमारी,
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– NHM/BHDS/259/2022–पी०पी०एम०-177- / कृ०, पटना, दिनांक -16.12.,2025

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– NHM/BHDS/259/2022–पी०पी०एम०-177 / कृ०, पटना, दिनांक -16.12.,2025

प्रतिलिपि : सचिवालय कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, पटना / सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– NHM/BHDS/259/2022–पी०पी०एम०-177- / कृ०, पटना, दिनांक -16.12.,2025

प्रतिलिपि : माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव / निदेशक उद्यान, बिहार, पटना / निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना / संबंधित उप निदेशक उद्यान / संबंधित, जिला उद्यान पदाधिकारी / मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण / बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– NHM/BHDS/259/2022–पी०पी०एम०-177 / कृ०, पटना, दिनांक -16.12.,2025

प्रतिलिपि : उप निदेशक (शष्य), सूचना, बिहार, पटना / आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार पदाधिकारी को ई–मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची–01

एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) वित्तीय वर्ष 2023–24 अन्तर्गत दो प्लग टाईप नर्सरी निर्माण का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त लंबित उत्तरदेयता

(राशि रू० में)

क्र०सं०	प्लग टाईप नर्सरी हेतु चयनित स्थल	कुल लागत	पूर्व में किया गया भुगतान	उत्तरदेयता की राशि (केन्द्रांश/राज्यांश)
1	प्रखंड उद्यान नर्सरी लक्ष्मीपुर (जमुई)	95,45,000.00	66,81,500.00	28,63,500.00
2	प्रखंड उद्यान नर्सरी मदनपुर (औरंगाबाद)	95,45,000.00	38,18,000.00	57,27,000.00
कुल		**1,90,90,000.00**	**1,04,99,500.00**	**85,90,500.00**

(पचासी लाख नब्बे हजार पाँच सौ) रूपये

(डॉ० राकेश कुमार)

निदेशक उद्यान,
उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना।

899

अनुसूची–2

एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) वित्तीय वर्ष 2023–24 अन्तर्गत दो प्लग टाईप नर्सरी निर्माण का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त लंबित उत्तरदेयता

(वित्तीय रू० में)

क्र० सं०	कार्यान्वयन एजेंसी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कुल वित्तीय लक्ष्य	श्रेणीवार वित्तीय लक्ष्य		
			सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	निदेशक उद्यान, बिहार, पटना	85,90,500.00	66,18,120.00	18,25,490.00	1,46,890.00
योग		**85,90,500.00**	**66,18,120.00**	**18,25,490.00**	**1,46,890.00**

(पचासी लाख नब्बे हजार पाँच सौ) रूपये

निदेशक उद्यान
उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना।

उप निदेशक उद्यान (योजना)
उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना